न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/155

बृजेश उर्फ बृजमोहन आत्मज श्री मोडू जाति माली निवासी के0 पाटन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. छीतर लाल
2. अणदीलाल
3. पप्पू लाल पिसरान श्री मोडू जाति माली निवासी के0 पानि तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।
4. राजस्थान सरकार जरिये के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महावीर गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महावीर सैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 08.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का ग्राम ईश्वरनगर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की कुल किता 05 की कुल आराजी रकबा 2.93 हैक्टर के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण कम 1 से 4 के संयुक्त खाते में अंकित है । उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है । अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं निर्माण कराने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये, अप्रार्थीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर, भूमि को अकृषि कार्यों में उपयोग में नहीं लेवे, खुर्द–बुर्द, बेचान, रहन आदि नहीं करे । उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.02.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया कि वह वादग्रस्त आराजी का रहन व बेचान नहीं करे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.02.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रार्थी अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में जो अनुतोष चाहा था वह नही दिया गया है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने और उक्त आराजी पर किसी प्रकार की कोई तामीर कार्य नहीं करने का निवेदन किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल रहन व बेचान नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जो त्रुटिपूर्ण है । प्रार्थी अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी उसके पक्ष में है । यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व वादग्रस्त आराजी पर तामीर कार्य करवा दिया गया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2016 निरस्त फमराया जावे तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का तामीर कार्य नहीं करे और वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति कायम रखी जावे।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मोडू के नाम खातेदारी में दर्ज थी । मोडू की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनके पुत्र बृजेश, छीतर लाल, अणदीलाल, पप्पू व बेवा नन्दू बाई के नाम दर्ज हुई जिसमें अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया । अपीलान्ट ने उक्त भूमि को लेकर विभाजन का दावा पेश किया था जिसमें अपीलान्ट को कुल 0.57 हैक्टर भूमि दी गई व शेष भूमि रेस्पोडेन्ट व नन्दू को विभाजन में दी गई तथा वाद का अंतिम रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई जिसकी आज दिनांक तक कोई अपील पेश नहीं की गई । अपीलान्ट ने अपनी भूमि में मकान व दुकानों का निर्माण कार्य करवा लिया किन्तु उक्त भूमियॉ संयुक्त खाते की होने से पुनः विभाजन का वाद पेश कर दिया जो चलने योग्य नही है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा है । चूँकि उक्त भूमि पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलान्ट अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को तामीर कार्य नहीं करने एवं वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहता है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी खुर्द–बुर्द न हो इस हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से वादग्रस्त आराजी के रहन व बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द किया है ।

10. पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2016 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 02.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा